फैक्स / डाक
/ -मेल

पत्रांकः– खा०आ०प्र० 5/कोर्ट–1/2016 2508

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

श्री संदीप सक्सेना,
अवर सचिव,
भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

/राँची, दिनांक– 24.06.16

विषय :– **Writ Petition (C) No. 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में खाद्यान्न आवंटन के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2086 दिनांक 31.03.2016 एवं आपका पत्रांक 6–1/2016–BP. III, दिनांक 03.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि Writ Petition (C) No. 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के लिए 42775.634 मे० टन चावल एवं 4560.876 मे० टन गेहूँ का मासिक आवंटन माह जून 2016 से माह सितम्बर 2016 तक की अवधि के लिए प्राप्त हुआ है। विदित हो कि संबंधित न्यायादेश में सुखाग्रस्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। उक्त आवंटनादेश में खाद्यान्न की मात्रा अधिनियम में प्रावधानित मात्रा के परिपेक्ष्य में है जबकि दर चावल एवं गेहूँ के लिए क्रमशः Derived MSP एवं MSP पर है।

उल्लेखनीय है कि आवंटित खाद्यान्न को लाभुकों तक उपलब्ध कराने हेतु परिवहन एवं हथालन, डोर स्टेप डिलीवरी, डिलर मार्जिन इत्यादि पर व्यय भारित है जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न भारत सरकार से प्राप्त दर के आधार पर ही विनिर्दिष्ट लाभुकों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

यहाँ यह भी कहना प्रासंगिक होगा की राज्य की अधिकांश जनता का Staple Diet चावल आधारित है। ऐसी स्थिति में राज्य के सभी विनिर्दिष्ट लाभुकों के लिए गेहूँ की जगह सिर्फ चावल उपलब्ध कराया जाना श्रेष्यकर प्रतीत होता है।

उक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि संबंधित Writ Petition में पारित न्यायादेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अन्तर्गत प्रावधानित दर (चावल तीन रूपये प्रति किलोग्राम) पर ही खाद्यान्न का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

24/6/16

(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– खा०आ०प्र० 5/कोर्ट–1/2016– 2508 /राँची, दिनांक– 24.06.16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/16

सरकार के सचिव।